प्रेस नोट
दिनांक- 05.08.2022
सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस
“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 1220/08 धारा 376 भादवि थाना अमेठी में अभियुक्त अभय राज यादव पुत्र ननकू निवासी अलीपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0-प्रथम सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 05.08.2022 को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 13.10.2008 को समय 09:45 बजे प्रातः की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी स्वयं के साथ अभियुक्त अभय राज यादव पुत्र ननकू निवासी अलीपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने की इस सूचना पर थाना अमेठी पर मु0अ0सं0 1220/08 धारा 376 भादवि पंजीकृत हो कर विवेचक श्री उ0नि0 उमाकान्त उपाध्याय द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-76 दिनांक 24.11.2008 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।